छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़

शंकर नगर, रायपुर

<u>अपील प्रकरण कमांक 440/2008</u>

1.	**श्री श्रीनिवास पाल,** **पता- श्रीमती आलो रानी पाल का मकान,** **नवपल्ली, पुराना बाजार, पंखाजूर,** **जिला-उत्तर बस्तर कांकेर (छत्तीसगढ़)**	-	**_अपीलार्थी_**

विरूद्ध

1.	**_जन सूचना अधिकारी/सचिव,_** **ग्राम पंचायत, दुर्गापुर, विकासखण्ड-कोयलीबेडा,** **जिला-कांकेर (छत्तीसगढ़)**	-	**_प्रति अपीलार्थी_**

_//<u>आदेश</u>//_

_(दिनांक 20 मई, 2008)_

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री श्रीनिवास पाल द्वारा दिनांक 19.11.2007 को जन सूचना अधिकारी/सचिव, ग्राम पंचायत-दुर्गापुर से सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था, उक्त आवेदन पर समयावधि में जानकारी नही मिलने के कारण उनके द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 20.12.2007 को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई, किन्तु उक्त अपील की सुनवाई नही होने के कारण उनके द्वारा असंतुष्ट होकर आयोग के समक्ष दिनांक 17.03.2008 को यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया और प्रतिअपीलार्थी की अनुपस्थिति के कारण एकतरफा कार्यवाही की जाकर अपीलार्थी के तर्को का श्रवण किया गया । मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा दिनांक 12.05.2008 को एक पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें उनके द्वारा अपने पत्र दिनांक 24.12.2007 एवं 16.01.2008 से 15 ग्राम पंचायतों के सचिवों को वांछित जानकारी प्रदान करने के निर्देश दिये गये हैं तथा उन्होंने सचिवों का एक पत्र भी प्रस्तुत किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि शुल्क जमा कराने कहने पर उल्टा सचिवों और सरपंच से राशि की माँग कर ब्लैकमेंलिंग की जाती है और सचिवों को बीमा कराने हेतु दवाब भी बनाया जाता है, उक्त पत्र में कुछ सरपंचों ने भी हस्ताक्षर किये हैं तथा कुछ ने यह भी लिखा है कि अपीलार्थी का कहना है कि आप मुझे पंद्रह हजार रूपये दे दो तो जानकारी की आवश्यकता नही है । अपीलार्थी द्वारा कुछ अन्य अपीलें जिनका अपील कमांक 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452 453, 454, 217/2008 96/2008 एवं 1081/2007 भी प्रस्तुत की है, जो कोयलीबेडा विकासखण्ड के ही अलग-अलग पंचायत की

है । इसके बाद भी आयोग में दिनांक 14.05.208 को 18 अपीलें प्रस्तुत की गई है, जिनका अपील क्रमांक 500/2008, 501/2008, 502/2008, 503/2008, 504/2008, 505/2008, 506/2008, 507/2008, 508/2008, 509/2008, 510/2008, 511/2008, 512/2008, 513/2008, 514/2008, 515/2008, 516/2008, एवं 517/2008 है, उक्त अपील के संबंध में भी अपीलार्थी को बताकर उनकी सुनवाई भी एक साथ की गई, क्योंकि सभी में एक ही प्रकार के तथ्य है तथा यह एक विशिष्ट प्रकार का प्रकरण है इसलिए इस सभी अपीलों पर एक साथ आदेश पारित किये जा रहे हैं । उनके द्वारा प्रस्तुत कुछ और अपीलों में सुनवाई के दौरान यह भी बताया गया कि अपीलार्थी लिखे हुये निर्धारित पते पर नही मिलते हैं इसलिए शुल्क की सूचना भी दिया जाना संभव नही होता है । उन्होंने एक सामन्य प्रकार के आवेदन, प्रथम अपील एवं द्वितीय अपील के लिए सायक्लोस्टाईल करा रखे हैं, जिसमें सभी पंचायत से एक ही प्रकार की विस्तृत जानकारी की माँग की जा रही है तथा एक भी प्रकरण में उनके द्वारा जानकारी के लिए दस्तावेजों का शुल्क जमा नही किया गया है । अपीलार्थी भी स्वयं जनपद पंचायत सदस्य है और जनपद पंचायत की बैठकों में अपने क्षेत्र की पंचायतों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और सभी पंचायतों के बारे में इतनी विस्तृत जानकारियाँ माँगने का उद्देश्य समझ में नही आता है । यदि वे जनहित चाहते हैं तो जनपद पंचायत की बैठकों में नियमित रूप से भाग लेकर ही जानकारी प्राप्त करें तो अधिक उचित होगा तथा किन्ही दो तीन पंचायतों की जानकारी में गडबड़ी का संदेह हो तो उसे वे अलग से प्राप्त कर सकते हैं । इसके अलावा कुछ और अपीले भी उन्होंने दायर की थी, जो क्रमांक 1082/2007 ग्राम पंचायत, मंडोरा, 1204/2007 ग्राम पंचायत-हांकेर, 97/2008 ग्राम पंचायत-बांदे कालोनी, 53/2008 ग्राम पंचायत-मायापुर, 1205/2007 ग्राम पंचायत-विकासपल्ली एवं 1084/2007 ग्राम पंचायत-बडेकापसी थी, इन छः अपीलों में उनके द्वारा यह लिखकर दिया गया था कि अब उन्हें जानकारी की आवश्यकता नही है, अतः द्वितीय अपील प्रकरण निरस्त करने की कृपा करें । यद्यपि तर्क के समय अपीलार्थी ने यह बताया कि इन पंचायतों के काम उन्होंने देख लिये है इसलिए वह जानकारी नही चाहते हैं, किन्तु पंचायतों के सचिवों द्वारा दिये गये आवेदन एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत के पत्र को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस बात का संदेह करने का पर्याप्त आधार है कि इन पंचायतों से अवैध रूप से कुछ राशि प्राप्त कर ली गई होगी और उसके बाद ही इन पंचायतों के बारे में यह लिखकर दे दिया है कि अब उन्हें जानकारी की आवश्यकता नही है और अपील प्रकरण निरस्त करने की कृपा करें । इसी प्रकार अन्य पंचायतों पर दबाव बनाने के लिए अपीलार्थी द्वितीय अपील करके उनसे भी कुछ अवैध राशि प्राप्त करने की लालसा रखते होंगे और जनहित की आड लेकर अपने निजी हितों को सांधने की प्रवृति अपीलार्थी में प्रतीत होती है, जिसे बिलकुल भी प्रोत्साहन दिया जाना उचित नही है । अपीलार्थी इस प्रकार आयोग का सहारा लेकर सूचना का अधिकार का दुरूपयोग करने और मखौल उड़ाने की कार्यवाई अत्यन्त दुर्भाग्यजनक होगी, अतः ऐसी अनुमति देना संभव नही है । अतः उपरोक्त स्थिति में अपीलार्थी की उपरोक्त समस्त अपीलें स्वीकार योग्य नही है और निम्नलिखित निर्देशों के साथ निरस्त की जाती है :-

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, कांकेर को यह निर्देश दिये जाते हैं कि सचिवों द्वारा लगाये गये आरोपों की जांच करें और यदि जांच में आरोप सिद्ध पाये जाते हैं तो श्री श्रीनिवास पाल, जनपद सदस्य के विरूद्ध पंचायत अधिनियम के अन्तर्गत जो भी कार्यवाही नियमानुसार आवश्यक हो, वह की जावे ।

2. विभिन्न समाचार पत्रों में छपी गड़बड़ियों के समाचारों के आधार पर और अपीलार्थी द्वारा मौखिक तर्क में लगाये गये आरोप तथा विशेष रूप से छः प्रकरणों में चूंकि अपीलार्थी ने अपील भी वापस ली है, उससे प्रतीत होता है कि जनपद पंचायत, कोयलीबेड़ा के अन्तर्गत आने वाली उन पंचायतों का जहाँ अधिक गड़बड़ी हो, विशेष आडिट कराने की आवश्यकता प्रतीत होती है, अतः इस संबंध में विचार कर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, कांकेर द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जावे ।

3. प्रकरण में अपीलार्थी यदि चाहे तो पंचायत मुख्यालय पर ही जाकर संबंधित रिकार्ड का नियमानुसार निरीक्षण कर सकते हैं तथा पंचायतों द्वारा रिकार्ड अथवा जानकारी जनपद पंचायत मुख्यालय को भेजने की आवश्यकता नही है, जैसा कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा पूर्व में पत्र द्वारा निर्देश दिये गये थे ।

4. अपीलार्थी की सभी 36 अपीलें उक्त निर्देशों सहित अस्वीकार की जाती है ।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त